

1457/118/2018-1

22/12/18

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, अटल नगर(छ.ग.)

--: आदेश ::--

कमांक एफ 10-20/2018/एक/1 राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त आयोगों (संवैधानिक आयोगों तथा विधि द्वारा स्थापित जिसमें अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य की नियुक्ति अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में चयन प्रक्रिया के अनुसार की गई है को छोड़कर), निगमों, मण्डलों, प्राधिकरणों, समितियों, परिषदों, एवं अन्य संस्थाओं में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/ सदस्यों के किये गये मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

संबंधित प्रशासकीय विभाग के भारसाधक सचिव को संबंधित संस्था का अध्यक्ष अथवा यथास्थिति अन्य पदनाम का दायित्व तत्काल प्रभाव से सौंपा जाता है ।

राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(अजय सिंह) 20.12.18

मुख्य सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

पृष्ठांकन कमांक एफ 10-20/2018/एक/1 अटलनगर, दिनांक 20/12/2018
प्रतिलिपि:--

- 1 सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर ।
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ ।
- 3 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/ विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) समस्त विभाग ।
- 4 उप सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय महानदी भवन ।

R. Shan. Lily 9

(रीता शांडिल्य) 20.12.18

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग